WILLMAN®

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैकुण्ठपुर (कोरिया) छ.ग.

# शिकायत निवारण कमेटी

Register

सत्र – 2016-17

Date: / / Page
WILLMAN

# बैठक क्रमांक – 1

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर द्वारा सत्र 2016-17 हेतु विभिन्न – गतिविधियों के संचालन के संबंध में विभिन्न समितियों का गठन आदेश क्रमांक 170/ स्था०/ बैकुंठपुर दिनांक – 15/07/2016 के तहत किया गया है। जिसमें से 'शिकायत – निवारण कमेटी' की आज दिनांक 19/07/2016 को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न निर्णय लिए गए —

(1) महाविद्यालय में अध्ययनरत कोई भी नियमित छात्र या छात्रा अपनी शिकायत लिखित रुप में समिति के समक्ष दर्ज करा सकते हैं।

(2) लिखित आवेदन के आधार पर ही समिति उस शिकायत की जाँच करेगी तथा जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे —

1. डॉ० श्रीमती प्रीति गुप्ता (संयोजक) [signature]
2. श्री एम० सी० हिमधर (सदस्य) [signature]
3. श्री बृजेश कुमार पाण्डेय (सदस्य) [signature]
4. श्री डी० के० द्विवेदी (सदस्य)

[signature]

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

Date: / / Page

## बैठक क्रमांक-02

आज दिनांक 19/01/2017 को सत्र 2016-17 को गठित शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई। जिसमें सत्र भर की गतिविधियों की समीक्षा की गई। और यह पाया गया कि इस वर्ष महाविद्यालय के नियमित छात्रों द्वारा लिखित रूप में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

1. डॉ. श्रीमती प्रीति गुप्ता (संयोजक)
2. श्री. एम. सी. हिमधर (सदस्य)
3. श्री बृजेश कुमार पाण्डेय (सदस्य)
4. श्री डी. के. द्विवेदी (सदस्य)

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

सत्र – 2017-18

Page
Date : / /
WILLMAN

बैठक क्रमांक – 01

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रमानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/160/स्था./बैकुण्ठपुर दिनांक 7/7/2017 के तहत महाविद्यालय में शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया गया है। जिसके निमित्त आज दिनांक 11/7/2017 को एक बैठक का आयोजन किया गया तथा समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

① महाविद्यालय में अध्ययनरत कोई भी छात्र-छात्रा जो कि नियमित रूप से महाविद्यालय का छात्र है, को महाविद्यालय में घटित किसी भी घटना/शिकायत हेतु अपनी बात लिखित रूप में कमिटी के समक्ष रख सकता है।

② उक्त शिकायत पर शिकायत निवारण कमेटी जाँच करेगी तथा जाँच के उपरान्त शिकायत सही पाए जाने पर उसका निवारण किया जाएगा।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

① डॉ जे० आर० कंवर (संयोजक)
② डॉ श्रीमती प्रीति गुप्ता (सदस्य)
③ डॉ बृजेश कुमार पाण्डेय (सदस्य)
④ श्री डी० के० द्विवेदी (सदस्य)

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

बैठक क्रमांक - 02

आज दिनांक 17/07/2018 को सत्र 2017-18 को गठित शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई। जिसमें सत्र भर की गतिविधियों की समीक्षा की गई। और यह पाया गया कि इस वर्ष महाविद्यालय के नियमित छात्रों द्वारा लिखित रूप में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गयी है।

बैठक में निम्न सदस्यों ने सहभागिता की -

1. डॉ॰ जे. आर. कंवर (संयोजक)
2. डॉ॰ श्रीमती प्रीति गुप्ता (सदस्य)
3. डॉ. बृजेश कुमार पाण्डेय (सदस्य)
4. श्री डी. के. द्विवेदी (सदस्य)

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

सत्र - 2018 - 19

बैठक क्रमांक - 1

कार्यालय प्राचार्य शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया (छ.ग.) के आदेश क्रमांक / 167 / स्था. / बैकुण्ठपुर दिनांक 18/07/2018 के तहत महाविद्यालय में शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया गया है। जिसके निमित्त आज दिनांक 23/07/2018 को एक बैठक का आयोजन किया गया तथा समिति के सदस्यो द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

(1) महाविद्यालय में अध्ययनरत कोई भी छात्र - छात्रा जो कि नियमित रूप से महाविद्यालय का छात्र है, को महाविद्यालय में घटित किसी भी घटना / शिकायत हेतु अपनी बात लिखित रूप मे कमेटी के समक्ष रख सकता है।

(2) उक्त शिकायत पर शिकायत निवारण कमेटी जाँच करेगी तथा जाँच के उपरान्त शिकायत सही पाए जाने पर उसका निवारण किया जाएगा।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

(1) डॉ. जे. आर. कंवर (संयोजक)
(2) श्री. एम. सी. हिमधर (सदस्य)
(3) श्री विनय शुक्ला (सदस्य)
(4) श्रीमति रजनी अग्रवाल (सदस्य)

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# बैठक क्रमांक – 02

आज दिनांक को सत्र 2018–19 के लिए गठित शिकायत निवारण कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र भर की शिकायत सम्बन्धी गतिविधियों की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि इस सत्र में किसी भी छात्र / छात्रा द्वारा लिखित रुप से कोई भी शिकायत पंजीबद्ध नहीं कराई गई है।

बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

① डॉ० जे० आर० कंवर (संयोजक)

② श्री एम० सी० हिमधर (सदस्य)

③ श्री विनय शुक्ला (सदस्य)

(4) श्रीमती रजनी अग्रवाल (सदस्य)

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

सत्र - 2019 - 020

## बैठक क्रमांक - 01

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया (छ॰ग॰) के आदेश क्रमांक / 200 / स्था॰ / बैकुण्ठपुर दिनांक 03/08/2019 के तहत महाविद्यालय में शिकायत निवारण कॉमेटी का गठन किया गया है। जिसके निमित्त आज दिनांक 05/08/2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया तथा समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए —

(1) महाविद्यालय में अध्ययनरत कोई भी छात्र / छात्राओं जोकि नियमित रूप से महाविद्यालय का छात्र है, को महाविद्यालय मे घटित किसी भी घटना / शिकायत हेतु अपनी बात लिखित रूप से कॉमेटी के समक्ष रख सकता है।

(2) उक्त शिकायत पर शिकायत निवारण कॉमेटी जाँच करेगी तथा जाँच के उपरान्त शिकायत सही पाए जाने पर उसका निवारण किया जायेगा।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

(1) श्री एम॰ बी॰ हिमधर (संयोजक) [signature]
(2) श्री बृजेश कुमार पाण्डेय (सदस्य) [signature]
(3) डॉ॰ ए॰ देवहकर (सदस्य) [signature]
(4) श्रीमती अर्चना द्विवेदी (सदस्य)

[signature]

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

WILLMAN®

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैकुण्ठपुर (कोरिया) छ.ग.

# एंटी रैगिंग समिति

(सत्र 2015-2016 से निरन्तर)

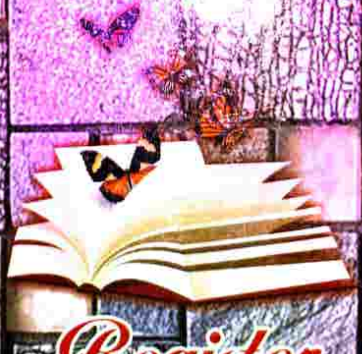

Register

2015 – 16

# बैठक क्रमांक – 01

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर के आदेश क्रमांक 146 / स्था० / बैकुंठपुर, दिनांक 24 जुलाई 2015 के तहत महाविद्यालय में रैगिंग को रोकने तथा साथ-ही-साथ रैगिंग में शामिल होने वाले छात्र / छात्राओं के ऊपर कार्यवाही करने के उद्देश्य से "एंटी रैगिंग समिति" का गठन किया गया है। आज दिनांक 27/07/2015 को समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें रैगिंग के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए —

(1) समस्त छात्र / छात्राओं को रैगिंग तथा रैगिंग के रूप में माने जाने वाली गतिविधियों की सूचना देना।

(2) रैगिंग – विरोधी पर सम्बन्धित प्रार्थी से निर्धारित प्रारुप में वचन-पत्र लेना।

(3) रैगिंग विरोधी पर प्राचार्य द्वारा उसके माता – पिता से पत्र व्यवहार करना।

(4) दोषी पाये गए लोगों के लिए उचित दंड निर्धारित करना।

(5) रैगिंग में लिप्त पाये गए विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गंभीरता के अनुसार उसका प्रवेश निरस्त करना, कक्षा से निलंबन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगाना, छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं पर रोक लगाना, संस्थान से निष्कासन तथा न्यायालय में मुकदमा चलाने जैसी कार्यवाही करना।

(6) शैक्षिक सत्र के प्रत्येक माह में रैगिंग के मामलों की समीक्षा करना।

बैठक में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे —

(1) डॉ० जे० आर० कंवर (संयोजक)

(2) श्रीमती प्रीति गुप्ता (सदस्य)

(3) श्री एम० सी० हिमधर (सदस्य)

(4) डॉ० ए० देऊस्कर (सदस्य)

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

2016-17

# बैठक क्रमांक - 02

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक/170/स्था/बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/7/16 के तहत महाविद्यालय में रैगिंग को रोकने तथा साथ-ही साथ रैगिंग मे शामिल होने वाले छात्र/छात्राओ के ऊपर कार्यवाही करने के उद्देश्य से "एंटी रैगिंग समिति" का गठन किया गया है। आज दिनांक 18/7/2016 को समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमे रैगिंग के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। -

1. समस्त छात्र/छात्राओ को रैगिंग तथा रैगिंग के रूप में माने जाने वाली गतिविधियों की सूचना देना।
2. दोषी पाये गए लोगों के लिए उचित दंड निर्धारित करना।
3. रैगिंग में लिप्त पाए गए विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गंभीरता के अनुसार उसका प्रवेश निरस्त करना, कक्षा से-निलंबन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगाना, संस्थान से निष्कासन तथा न्यायालय में मुकदमा चलाने जैसी कार्यवाही करना।
4. शैक्षिक सत्र के प्रत्येक माह में रैगिंग के मामलों की समीक्षा करना।

बैठक में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे -

1. डॉ॰ जे॰ आर॰ कंवर (संयोजक) [signature]
2. श्रीमती प्रीति गुप्ता (सदस्य) [signature]
3. श्री एम॰ सी॰ हिमधर (सदस्य) [signature]
4. डॉ॰ ए॰ देऊस्कर (सदस्य) [signature]

2017-18

Date / / Page
WILLMAN

# बैठक क्रमांक - 03

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर के द्वारा सत्र 2017-18 में विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन के लिए आदेश क्रमांक 160/स्थाप बैकुंठपुर दिनांक 07/07/2017 के तहत "एंटी रैगिंग समिति" का गठन किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में आज - दिनांक 12/07/2017 को समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें समिति के सदस्यों ने निम्नलिखित निर्णय लिए —

(1) सभी छात्र / छात्राओं को महाविद्यालय की रैगिंग आचार-संहिता से अवगत कराना।

(2) रैगिंग में लिप्त पाये गये लोगों के लिए कठोर दंड निर्धारित करना।

(3) शैक्षिक सत्र के प्रत्येक माह में रैगिंग गतिविधियों की समीक्षा करना।

बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे —

(1) डॉ० जे० आर० कंवर (संयोजक) [signature]

(2) डॉ० श्रीमती प्रीति गुप्ता (सदस्य) [signature]

(3) डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय (सदस्य) [signature]

(4) डॉ० ए० देऊस्कर (सदस्य) [signature]

2018-19

# बैठक क्रमांक-04

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर के द्वारा सत्र 2018-19 में विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए आदेश क्रमांक 167/स्था. बैकुण्ठपुर दिनांक 18/07/2018 के तहत एंटी रैगिंग समिति का गठन किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनांक 23/07/2018 को समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें समिति के सदस्यों ने निम्नलिखित निर्णय लिए –

(1) सभी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय की रैगिंग-आचार संहिता से अवगत कराना।

(2) रैगिंग में लिप्त पाये गये लोगों के लिए कठोर दंड निर्धारित करना।

(3) शैक्षिक सत्र के प्रत्येक माह में रैगिंग गतिविधियों की समीक्षा करना।

बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे –

1. डॉ. जे. आर. कंवर (संयोजक) [signature]
2. डॉ. श्रीमती प्रीति गुप्ता (सदस्य) [signature]
3. श्री एम. सी. हिमधर (सदस्य) [signature]
4. डॉ. विनय शुक्ला (सदस्य) [signature]

2019-20

# बैठक - क्रमाँक - 01

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक 200/स्था०/बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/08/2019 के तहत महाविद्यालय में रैगिंग को रोकने तथा साथ ही साथ रैगिंग में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं के ऊपर कार्यवाही करने के उद्देश्य से "एंटी रैगिंग समिति" का गठन किया गया है। आज दिनांक 08/07/2019 को समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें रैगिंग के सम्बन्ध मे निम्नलिखित निर्णय लिए गए —

(1) समस्त छात्र/छात्राओं को रैगिंग तथा रैगिंग के रूप में माने जाने वाली गतिविधियों की सूचना देना।

(2) रैगिंग - विरोधी पर सम्बन्धित प्रार्थी से निर्धारित प्रारूप में वचन-पत्र लेना।

(3) रैगिंग विरोधी पर प्राचार्य द्वारा उसके माता-पिता से पत्र व्यवहार करना।

(4) दोषी पाये गये लोगों के लिए उचित दंड निर्धारित करना।

(5) रैगिंग में लिप्त पाये गए विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गंभीरता के अनुसार उसका प्रवेश निरस्त करना, कक्षा से निलंबन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगाना, छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं पर रोक लगाना, संस्थान से निष्कासन तथा न्यायालय में मुकदमा चलाने जैसी कार्यवाही करना।

(6) शैक्षिक सत्र के प्रत्येक माह मे रैगिंग के मामलों की समीक्षा करना।

बैठक मे समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

(1) डॉ. जे. आर. कंवर (संयोजक)

(2) श्रीमती कीर्ति गुप्ता (सदस्य)

(3) डॉ गौरव मिश्रा (सदस्य)

(4) डॉ ए. देऊलकर (सदस्य)

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# 2020-21

# Anti-Ragging Committee

Govt. R.P.S.P.G. College, Baikunthpur has an extremely vigilant committee on Anti-ragging to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging of any type within the college campus. The committee includes faculty members from different departments. The committee meets often and when needed to discuss the Anti-ragging directives received from UGC and put them into action. The committee ensures the implementation of the preventive measure and undertakes frequent and surprize checks, visits to ensure ragging free campus.

## Objectives of Anti-ragging Committee

The Anti-Ragging Committee will be the supervisory and advisory committee in preserving a culture of Ragging Free Environment in the college campus. The Anti-Ragging Committee willbe involved in designing action plan for curbing the menace of ragging in the college campus.

# Initiatives to Prevent Ragging

* Put up posters on Anti-ragging on notice board and at various vantage points in the college campus.

* As a preventive measure members of Admission committee will educate the students about ragging and its prevention.

* Anti-ragging complaint box will be installed at college campus so that students can freely and fearlessly contact the committee.

* Assurance to maintain their confidentiality if reported.

## एंटी रैगिंग समिति

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में सत्र 2020-21 में महाविद्यालय परिसर को रैगिंग मुक्त रखने के लिए आदेश क्रमांक/101/स्था० बैकुण्ठपुर दिनांक 13/07/2021 के तहत 'एंटी रैगिंग समिति' का गठन किया गया है।

2020 - 21

बैठक क्रमांक - 01

22/07/2021 को शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में एंटी रैगिंग समिति की बैठक प्राचार्य डॉ० एस०सी० गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का आयोजन प्राचार्य कक्ष में किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी, विश्वविद्यालय तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार कॉलेज परिसर में प्रवेशित नए विद्यार्थियों की रैगिंग सीनियर विद्यार्थियों द्वारा नहीं हो, इसके लिए गाइड लाइन जारी की गई हैं। गाइड लाइन के अनुसार बैठक में रैगिंग से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई -

→ नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का उत्पीड़न, उत्पात, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, अशिष्टता पूर्ण व्यवहार, कठोर आचरण जैसे कार्य जो किसी विद्यार्थी को मानसिक शारीरिक क्षति पहुँचाता हो को रोकना।

→ मा० सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी के निर्देशानुसार रैगिंग विरोधी गति-विधियों को सख्ती से लागू किया जायेगा।

→ कॉलेज कैम्पस को रैगिंग मुक्त रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाय।

→ महाविद्यालय में एंटी रैगिंग एक्ट की जानकारी विद्यार्थियों को बैनर, फ्लैक्स कॉलेज परिसर में लगाकर दी जाए।

→ एंटी रैगिंग स्क्वाड कॉलेज परिसर के विभिन्न स्थानों जैसे कॉरिडोर्स, ग्राउंड, लाइब्रेरी, क्लास रूम, लेक्चर हॉल, ई-लाइब्रेरी, इनडोर स्टेडियम, कैंटीन में निरंतर निगरानी के साथ-साथ नए स्टूडेंट्स के साथ निरंतर संवाद रखेगी।

→ समिति रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध एंटी रैगिंग विनियम के अनुसार कार्यवाही कर दण्ड सुनिश्चित करेगी।

एंटी रैगिंग समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

→ किसी भी प्रकार के रैगिंग के मामले में समिति Zero Tolerance की नीति अपनाएगी।

→ नव प्रवेशी विद्यार्थियों को जागरुक करने के लिए कक्षा में orientation session में रैगिंग से संबंधित जानकारी व रैगिंग के मामले में तत्काल शिकायत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

→ शा० रा० प्र० सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर को पिछले वर्षों की तरह रैगिंग मुक्त कैंपस बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

→ रैगिंग के किसी भी प्रकार के मामले में दोषी विद्यार्थियों को उनके अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाएगा। ताकि कोई और विद्यार्थी इस प्रकार का आचरण न करें।

→ रैगिंग के किसी भी मामले में समिति गंभीरता पूर्वक दोनों पक्षों (वादी तथा प्रतिवादी) की सुनवाई कर निर्णय लेगी, ताकि रैगिंग के फर्जी मामलों में उचित निर्णय किया जा सके।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों की उपस्थिती रही-

1. संयोजक –
डॉ०(श्रीमती) प्रीति गुप्ता
सहा० प्रा० वाणिज्य, विभागाध्यक्ष

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

2. सदस्य –
डॉ० जे० आर० कंवर
सहा० प्रा०, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र

डॉ० गौरव कुमार मिश्रा
सहा० प्रा०, विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र

Date: / /

Page

WILLMAN

डॉ० ए० देऊस्कर

सहा० प्रा० मनोविज्ञान

WILLMAN®

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बैकुण्ठपुर (कोरिया) छ.ग.

# महिला लैंगिक
# उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

REGISTER

2015-16

Date: / / Page
WILLMAN

## लैंगिक उत्पीड़न केस

अर्थ -

लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है किसी से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए समिति उच्चतर शैक्षणिक संस्था Govt. R.P.S. P.G. College में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं सुधार के परिपेक्ष्य में लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। समिति अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों का प्रयोग प्राचार्य व अन्य सदस्यों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से करेगी।

## लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

संयोजक -

डॉ० जे० आर० कंवर, सहा० प्राध्यापक समाजशास्त्र
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

सदस्य -

1. श्रीमति प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा० वाणिज्य
   विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग
2. श्री एम० सी० हिमधर, सहा० प्रा० अर्थशास्त्र
   जिला संगठक N.S.S.
3. डॉ० अर्चना पाण्डेय, अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

Academic Session – 2015-16.

# महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

शा० रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महा० परिसर में लैंगिक उत्पीड़न (निषेध) निवारण एवं रोकथाम के लिए, कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रा० प्र० सिं० स्ना० महा० बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक/146/स्था० दिनांक 24/07/2015 के तहत महिला लैंगिक उत्पीड़न प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

## बैठक क्रमांक – 01

आज 31 जुलाई 2015 शुक्रवार को शा० रा० प्र० सिं० स्ना० महा०, बैकुण्ठपुर में महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन, श्री एस० सी० गुप्ता, प्राचार्य की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए गए –

1. महिलाओं को कॉलेज कैम्पस में सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 व UGC विनियम 2015 का सख्ती से पालन किया जाएगा।
2. कॉलेज परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए
3. लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहन (zero tolerance) संबंधी नीति के प्रति प्रतिबद्धता रखी जाए।
4. शिकायत प्राप्त होने पर समिति गंभीरता से दोनों पक्षों व गवाहों को सुन कर साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

बैठक में प्राचार्य एवं समिति के निम्न सदस्यों की उपस्थिती रही –

संयोजक –

डॉ० जे० आर० कंवर, सहा० प्रा० समाजशास्त्र
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र

सदस्य –

1. श्रीमती प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा० वाणिज्य
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य (Preeti)
2. श्री एम० सी० हिमधर, सहा० प्रा० अर्थशास्त्र
3. डॉ० अर्चना पाण्डेय, अतिथि व्याख्याता
वनस्पति शास्त्र (Archana)

PRINCIPAL
Govt. R.P.S. Dev P.G. College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# 2016 - 17

Page
Date : / /
WILLMAN

सत्र 2016-17 में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं सुधार के परिपेक्ष्य में लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। समिति अपने कर्त्तव्यों व अधिकारों का प्रयोग प्राचार्य के मार्गदर्शन में सभी अन्य सदस्यों के सहयोग से करेगी।

## लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

संयोजक -

श्रीमति प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा०
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य

सदस्य -

1. डॉ० ए० देउस्कर, सहा० प्राध्यापक मनोविज्ञान
2. डॉ० गौरव कुमार मिश्रा, सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष राजनीतिशास्त्र
3. डॉ० अर्चना पाण्डेय अतिथि व्याख्याता, वनस्पति शास्त्र

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

Academic Session 2016-17

Date : / / Page
WILLMAN

# महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

शा० रा० प्र० सिंहदेव स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में सत्र 2016-17 में महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न निवारण हेतु कार्यालय प्राचार्य, शा० रा० प्र० सिंहदेव स्नातकोत्तर महा०, बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक क्रमांक/170/स्था० दिनांक 15/07/2016 के तहत महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकार के आचरण में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध की गंभीरता के अनुसार निष्पक्ष रुप से उचित दंड का निर्णय यह समिति लेगी।

## बैठक क्रमांक -01

आज दिनांक 23/07/2016 को कार्यालय प्राचार्य, शा० रा० प्र० सिंहदेव स्ना० महा०, बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक क्रमांक/170/ स्था० के परिपालन में महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन प्राचार्य एस० सी० गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। प्राचार्य ने कहा कि महाविद्यालय परिसर को लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से मुक्त रखने के लिए हमें वचनबद्ध होना है साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों व विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। यह प्रकोष्ठ महा० परिसर में होने वाले लैंगिक उत्पीडन संबंधी प्रकरणों की सुनवाई करेगा तथा तत्सम्बन्धी प्रकरणों की विधिवत, निष्पक्ष विवेचना करते हुए दण्ड के लिए अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई -

1. यदि कोई महिला भारतीय दंड संहिता के अधीन कोई परिवाद फाइल करना चाहती है तो उसे सहायता प्रदान करना।

Date: / / Page

2. कॉलेज कैम्पस में जागरूकता फैलाने के लिए सहजदृश्य स्थानों पर पोस्टर, सूचना, फ्लैक्स आदि लगाए जाएंगे।

3. कॉलेज परिसर में प्रत्येक कर्मचारी एवं विद्यार्थियों को कार्य करने एवं पढ़ने-पढ़ाने का सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना।

4. लैंगिक उत्पीड़न के किसी भी मामले में शिकायत कर्ता तथा दोषी दोनों की सुनवाई निष्पक्ष रूप से करना और दोष सिद्ध होने पर आवश्यक दण्ड की अनुशंसा करना।

5. लैंगिक उत्पीड़न के मामले में त्वरित कार्यवाही करना व संपूर्ण मामले पर निर्धारित समय में निर्णय करना।

6. झूठी शिकायत प्राप्त होने पर दोषी शिकायत कर्ता को दंड निर्धारित करना।

बैठक में प्राचार्य की उपस्थिति में समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए —

1. समिति की बैठक में संयोजक ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि शा० रा०प्र०सिंहदेव स्ना० महा०, बैकुण्ठपुर में जब से कॉलेज की स्थापना हुई है तब आज तक इस महा० में कोई भी लैंगिक उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं हुआ है। लैंगिक उत्पीड़न के मामले में निष्पक्ष व गहन जाँच की जाएगी।

2. लैंगिक उत्पीड़न के प्रति zero tolerance की नीति अपनाई जाएगी। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे —

संयोजक — श्रीमती प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा० वाणिज्य

सदस्य — डॉ० ए० देउस्कर, सहा० प्रा० मनोविज्ञान
डॉ० जी० के० मिश्रा, सहा० प्रा० राजनीति शास्त्र
डॉ० अर्चना पाण्डेय अतिथि व्याख्याता, वनस्पतिशास्त्र

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.Colle
Baikunthpur, Korea (C.G

# 2017-18

सत्र 2017-18 में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध, एवं सुधार के परिपेक्ष्य में ~~परिपेक्ष्य में~~ लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। समिति अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों व उत्तरदायित्वों का प्रयोग समिति के अन्य सदस्यों व प्राचार्य के सहयोग व मार्गदर्शन से करेगी।

## लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

संयोजक –

डॉ० जे० आर० कंवर, सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष

सदस्य –

1. श्रीमति प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष वाणिज्य NSS कार्यक्रम अधिकारी (महिला इकाई)
2. डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय, सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष हिन्दी
3. श्रीमती अर्चना द्विवेदी, अतिथि व्याख्याता, गणित

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन कार्यालय प्राचार्य शासकीय रा० प्र० सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक/160/स्था० दिनांक 07/07/2017 के तहत महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। समिति अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों का निर्वहन महाविद्यालय के हित में संपादित करेगी।

## बैठक क्रमांक – 01

17/07/2017 को शा० रा० प्र० सिं० स्ना० महा०, बैकुण्ठपुर में महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन प्राचार्य डा० एस० सी० गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। प्राचार्य ने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न को रोकना व महा० में एक स्वस्थ एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। हमें कर्मचारियों व विद्यार्थियों में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध जागरुकता फैलानी चाहिए ताकि किसी भी दशा में इस प्रकार के मामले में पीड़ित भयमुक्त होकर शिकायत दर्ज करवा सके तथा न्याय की उम्मीद कर सकें। बैठक में निम्न लिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई –

1. लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के) लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं प्रतितोष विनियम 2015 के नियमों व दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

2. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर बिना किसी भेदभाव के मामले की जाँच कर समिति निर्णय व दण्ड तय करेगी।

Date: / / Page

बैठक क्रमांक -01 में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

1. महा० परिसर को लैंगिक उत्पीड़न जैसी घटनाओं से मुक्त रखने के लिए वे सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जो महा० के हित में आवश्यक हों।
2. लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में बिना किसी दबाव व पक्षपात के समिति zero tolerance की नीति अपनाएगी।
3. लैंगिक उत्पीड़न के मामले को पूर्वाधिकार (Preference) देते हुए जल्दी से जल्दी मामले की गंभीरता से जाँच कर समिति निर्णय लेगी।
4. लैंगिक उत्पीडन के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों को उचित दंड की अनुशंसा समिति करेगी।
5. शैक्षणिक सत्र के प्रत्येक माह में समिति ऐसे मामलों की समीक्षा करेगी।

बैठक में निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही -

संयोजक -
डॉ० जे० आर० कंवर, सहा० प्रा०
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र

सदस्य -
1. श्रीमती प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा०
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य
2. डॉ० ब्रजेश कुमार पाण्डेय, सहा० प्रा०
विभागाध्यक्ष, हिन्दी
3. श्रीमती अर्चना द्विवेदी, अतिथि व्याख्याता
गणित

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# 2018 – 19

सत्र 2018–19 लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध, एवं सुधार के परिपेक्ष्य में लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन शा० रा० प्र० सिंहदेव स्ना० महा० बैकुन्ठपुर में किया गया है। समिति इस प्रकार के समस्त मामलों में छानबीन व जॉंच करके निर्णय देगी। समिति अपने कर्त्तव्यों, अधिकारों व उत्तरदायित्वों का प्रयोग समिति के अन्य सदस्यों व प्राचार्य के मार्गदर्शन व सहयोग से करेगी।

## लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

संयोजक –

डॉ०(श्रीमति) प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष वाणिज्य

सदस्य –

1. श्री एम० सी० हिमधर, सहा० प्रा० अर्थशास्त्र
   जिला संगठक N.S.S.

2. डॉ. विनय शुक्ला, सहा० प्रा० हिन्दी

3. श्रीमती अर्चना द्विवेदी, अतिथि व्याख्याता गणित

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

शा० रा० प्र० सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर में लैंगिक उत्पीड़न निवारण के लिए तथा दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से कार्यालय प्राचार्य शा० रा० प्र० सिं० स्ना० महा०, बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक/167/स्था० दिनांक 18/07/2018 के तहत महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। समिति अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 व UGC विनियम 2015 के अनुसार करेगी।

## बैठक क्रमांक – 01

24/07/2018 को प्राचार्य डॉ० ए०सी० गुप्ता की अध्यक्षता में महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। प्राचार्य ने बताया कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि महा० परिसर सभी महिलाएँ सुरक्षित है। इसके लिए सभी महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानना जरुरी है। बैठक में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई –

1. कॉलेज कैम्पस को लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से मुक्त रखना समिति की प्राथमिकता होगी।
2. कॉलेज कैम्पस में सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण रखना होगा ताकि कोई भी पीड़ित शर्म या लोकलाज के डर से किसी भी प्रकार की लैंगिक उत्पीड़न की घटना को समिति के सामने शिकायत के रूप में प्रस्तुत कर सके।
3. यदि आवश्यक हो और पीड़ित यह चाहती हो कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाए तो समिति को पीड़ित का नाम सार्वजनिक नहीं करना है।

Date: / / Page
WILLMAN

4. कॉलेज कैंपस को लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं से मुक्त रखने के लिए सी०सीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए।
5. लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम की जानकारी परिसर में विभिन्न स्थानों पर बैनर, पोस्टर तथा फ्लेक्स आदि लगाकर दी जाए।
6. विधिक - साक्षरता के माध्यम से महा० में सभी कर्मचारियों व विद्यार्थियों को अधिनियम के बारे में जागरूक किया जाए।

बैठक में निम्न निर्णय लिए गए —

1. लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ के सदस्य कॉलेज परिसर में विभिन्न स्थानों जैसे ग्राउंड, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, इनडोर स्टेडियम, क्लासरूम, कैंटीन आदि जगहों पर निरंतर निगरानी तथा विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे।
2. लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी व्यक्ति संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें नियमानुसार कठोर दंड दिया जाएगा।

बैठक में निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिती रही —

संयोजक —
डॉ० (श्रीमती) प्रीति गुप्ता
सहा० प्रा०, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य
N.S.S. कार्यक्रम अधिकारी (महिला इकाई)
(हस्ताक्षर)

सदस्य —
श्री एम० सी० हिमधर
सहा० प्रा०, जिलासंगठक N.S.S.
(हस्ताक्षर)

डॉ० विनय शुक्ला
सहा० प्रा० हिन्दी
N.S.S. कार्यक्रम अधिकारी (पुरुष इकाई)

श्रीमती अर्चना द्विवेदी
अतिथि व्याख्याता, गणित
Dwedi

(हस्ताक्षर)
PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# 2019 – 20

2019-20 सत्र में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं सुधार के परिपेक्ष्य में लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न प्रकोष्ठ के तहत समिति इस प्रकार के समस्त मामलों में छानबीन व जाँच करने के पश्चात निर्णय देगी। समिति प्राचार्य एवं अन्य सदस्यों के मार्गदर्शन में अपने कर्त्तव्यों अधिकारों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी।

## लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

संयोजक –

श्री एम० सी० हिमधर, सहा० प्रा० अर्थशास्त्र
जिला संगठक N.S.S.

सदस्य –

1. डॉ० (श्रीमति) प्रीति गुप्ता, सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष वाणिज्य
N.S.S. कार्यक्रम अधिकारी (महिला इकाई)

2. डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय, सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष हिन्दी

3. डॉ० अर्चना पाण्डेय, अतिथि व्याख्याता, वनस्पति शास्त्र

PRINCIPAL
Govt. R.P.S. Dev P.G. College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक /200/ स्था० दिनांक 03/08/2019 को महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया। समिति अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष रूप से प्राचार्य के मार्गदर्शन व सुप्रीम कोर्ट, अधिनियम व यूजीसी के निर्देशानुसार करेगी।

## बैठक क्रमांक – 01

28/08/2019 को शासकीय रा० प्र० सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर में प्राचार्य डॉ० एस०सी० गुप्ता की अध्यक्षता में महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्राचार्य ने दिशानिर्देश दिए कि लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध कॉलेज परिसर में विस्तृत प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए। प्राचार्य ने इस बात पर संतोष जताया कि पूर्व के वर्षों में महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न का कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु निम्न हैं —

1. लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति (प्रकोष्ठ) की पहली प्राथमिकता कॉलेज कैम्पस में सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना है।
2. कॉलेज परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध ऐसा माहौल बनाया जायगा, ताकि कोई भी पीड़ित समाज के डर से इस प्रकार की घटना को छिपाए नहीं वह भयमुक्त होकर प्राचार्य अथवा अपने शिक्षकों के सामने खुलकर अपनी परेशानी या घटना के बारे में शिकायत कर सके।

3. लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में zero tolerance की नीति के प्रति प्रतिबद्धता रखी जाए।
4. लैंगिक उत्पीड़न जैसे मामलों को रोकने के लिए समिति व सभी शिक्षक विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार का भय न रहे।
5. लैंगिक उत्पीड़न के मामलों को रोकने व इससे संबंधित नियमों, अधिनियम व विनियम के प्रचार-प्रसार तथा विद्यार्थियों में जागरुकता फैलाने के लिए परिसर में महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि लगाए जाएंगे।
6. सीसीटीवी से परिसर की निगरानी रखी जाएगी।
7. समिति दोषी व्यक्तियों पर बिना किसी पक्षपात व दबाव के कार्यवाही करेगी।
8. यदि विद्वेषपूर्ण भावना से कोई शिकायतकर्ता झूठी शिकायत करता है तो दोषी व्यक्ति पर दण्ड का प्रावधान किया जाएगा।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए —

1. कॉलेज परिसर के लैंगिक उत्पीड़न जैसी घटनाओं से मुक्त रखने के लिए सभी प्रकार से उपाय किए जाएंगे।

2. लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में सुनवाई करते समय समिति सभी साक्ष्यों व गवाहों से पूछताछ कर यह सुनिश्चित करेगी कि झूठे साक्ष्य या गवाह तो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

3. लैंगिक उत्पीड़न के केस में समिति पर्याप्त छानबीन के पश्चात ही निर्णय लेगी और दोषी व्यक्ति पर

उचित दंड की अनुशंसा करेगी।

4. परिसर की निगरानी सीसीटीवी के जरिये की जाएगी।

5. लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम व निवारण के लिए विधिक-साक्षरता जैसे कार्यक्रम कॉलेज में आयोजित किए जाऐंगे।

6. झूठी शिकायतों की दशा में समिति दोषी व्यक्ति पर कठोर दण्ड की अनुशंसा करेगी ताकि भविष्य में लोगों को सबक मिल सके।

बैठक में प्राचार्य सहित निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही –

संयोजक –

श्री एम॰ सी॰ हिमधर
सहा॰ प्रा॰ अर्थशास्त्र, NSS जिला संगठक

सदस्य –

1. डॉ॰ (श्रीमती) प्रीति गुप्ता
सहा॰ प्रा॰ विभागाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय

2. डॉ॰ बृजेश कुमार पाण्डेय
सहा॰ प्रा॰ हिन्दी, विभागाध्यक्ष हिन्दी

3. डॉ॰ अर्चना पाण्डेय
अतिथि व्याख्याता, वनस्पति शास्त्र

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

# 2020 – 21

Date: / /   Page
WILLMAN

## The Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Sexual Harassment of Women act at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 was enacted in order to provide a safe and secure working environment to women at workplace. With the enactment of The Act, India is now a part of the group of countries to have prohibited sexual Harassment at workplace through national legislation.

Sexual Harassment is in grave violation of the fundamental rights of a women. It means any unwanted conduct of sexual nature. It includes both quid pro quo harassment (what for what in Latin or something for something) and hostile working environment.

## Sexual Harassment at College Campus & Responsibilities of Higher Educational Institution: (Govt. R.P.S.P.G. College, Baikunthpur)

→ In Govt. R.P.S.P.G. College a cell is formed named Sexual Harassment Redressal Cell.

→ The cell ensures a safe environment free from Sexual Harassment including prevention and deterrence of Sexual Harassment.

→ Prominently display notices, flax in College campus spreading awareness about the issue of "Sexual Harassment".
→ Giving information for the redressal machanism in the college.
→ To conduct enquiries into the complaints and give every complaint serious consideration.

→ All information received in the course of the examination and enquiry into a complaint of Sexual Harassment shall be held in trust by the concerned committee against Sexual Harassment.
→ The identities of the complainant and all witnesses shall throughout be protected and kept confidential by the Committee.
→ The Committee shall strive to complete the enquiry in the shortest possible time.
→ After concluding the enquiry, the Committee shall prepare a detailed and written report of its findings.
→ If the defendant is proved guilty then Committee will recommend disciplinary action according the gravity of the offence.
→ In case of false or malicious complaints and false evidence the Committee will take action against complainant:

# महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में सत्र 2020-21 में महाविद्यालय परिसर में महिला लैंगिक उत्पीड़न(निषेध) निवारण एवं उसे रोकने के लिए कार्यालय प्राचार्य शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक/101/स्था० बैकुण्ठपुर दिनांक 13 जुलाई, 2020 के तहत महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। समिति अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों का प्रयोग प्राचार्य, समिति के सदस्यों व अन्य कॉलेज स्टाफ के सहयोग एवं मार्गदर्शन से करेगी।

## बैठक क्रमांक - 01

28/07/2020 को शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर में महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन प्राचार्य डा० एस०सी० गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य ने बताया कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं प्रतितोष) विनियम 2015 अधिनियमित किया गया है। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज कैम्पस में लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित कर उसका विस्तृत प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य

Date: / / Page
WILLMAN

सहन (zero tolerance) संबंधी नीति के प्रति प्रतिबद्धता रखी जाए। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई —

→ मा० सुप्रीम कोर्ट एवं यूजीसी के अधिनियमों एवं दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए।

→ महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न निवारण संबंधी जानकारी को कॉलेज परिसर में महत्वपूर्ण स्थलों, नोटिस बोर्ड, गर्ल्स कॉमन रूम, लाइब्रेरी, कैंटीन तथा मिनी स्टेडियम पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण के लिए शिकायतों, दंड तथा परिणामों को दर्शाया जाना।

→ लैंगिक उत्पीड़न के मामलों को रोकने व निगरानी के लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।

→ लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आने वाले मामलों में समिति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करेगी।

→ समिति द्वारा दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही कर दण्ड सुनिश्चित किया जाएगा।

→ किसी व्यक्ति द्वारा गलत भावना से झूठी शिकायत दर्ज करवाने पर दोषी व्यक्ति पर दण्ड एवं हर्जाने का प्रावधान किया जाए।

Note: Due to Covid-19 College campus was closed from 19th March, 2020 for Students as exams were cancelled.

Date: / /
Page
WILLMAN

महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए —

→ शा० रा० प्र० सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर को पिछले वर्षों की तरह लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं से मुक्त रखने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक उपाय गंभीरता पूर्वक किए जाएंगे।

→ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करते समय समिति सुनिश्चित करे कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों तथा दोषी व्यक्ति के साथ भेदभाव अथवा पक्षपात पूर्ण व्यवहार न रखा जाए।

→ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी मामलों में पीड़ित को संरक्षण व दोषी को कठोर दण्ड (अपराध के अनुसार) देना सुनिश्चित किया जाएगा।

→ लैंगिक उत्पीड़न के मामलों में समिति गंभीरता पूर्वक दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेगी ताकि इस प्रकार के फर्जी मामलों में दोषी शिकायतकर्ता को दंडित किया जा सके।

→ लैंगिक उत्पीड़न के प्रति zero tolerance की नीति अपनाई जाएगी।

बैठक में प्राचार्य एवं समिति के निम्न सदस्यों की उपस्थिती रही —

संयोजक —
डॉ० प्रीति गुप्ता
सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय
कार्यक्रम अधिकारी N.S.S. (महिला इकाई)

[signature]

Date: / / Page
WILLMAN

सदस्य -

1. श्री एम० सी हिमधर
सहा० प्रा० अर्थशास्त्र
जिला संगठक N.S.S.

2. डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय
सहा० प्रा० विभागाध्यक्ष हिन्दी

3. डॉ० अर्चना पाण्डेय
अतिथि व्याख्याता, वनस्पति शास्त्र

PRINCIPAL.

कोविड-19 महामारी के कारण कॉलेज कैम्पस 2020-21 शैक्षणिक सत्र में अधिकांश समय विद्यार्थियों के लिए बंद रहा। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था चल रही थी।
कॉलेज कैम्पस विद्यार्थियों के लिए दिनांक 15th Feb, 2021 से खोला गया तथा कोविड की Second Wave के कारण कोविड के मामले बढ़ने के परिणामस्वरुप 21st मार्च, 2021 को पुनः बंद कर दिया गया। शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यम से पूर्ववत जारी रखा गया।